आसमां में दिन में पतंगबाजी, रात को आतिशबाजी

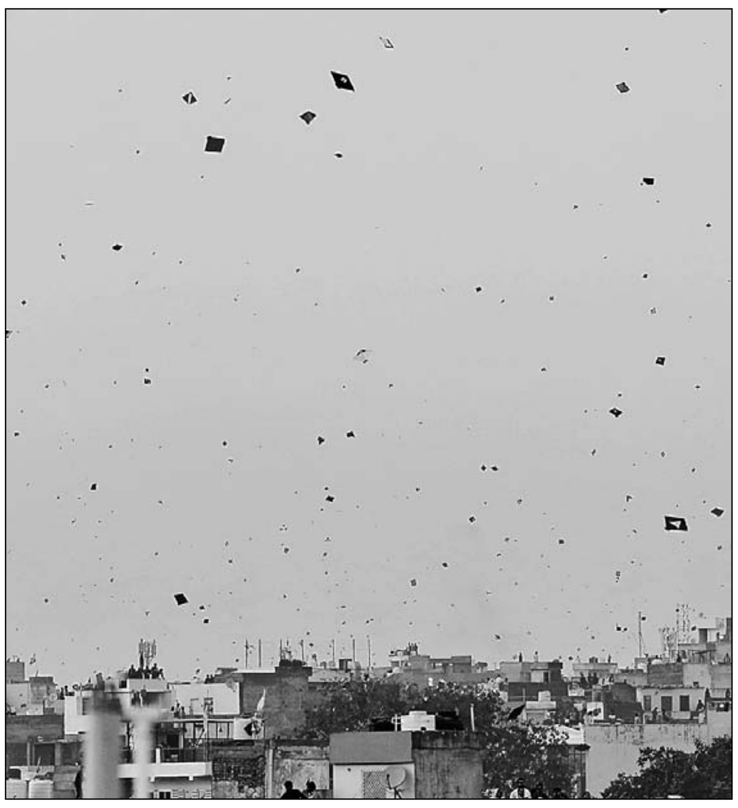

मकर संक्रान्ति पर राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन सोमवार को दिनभर जमकर पतंगबाजी हुई। अलसुबह से लोग छतों पर चढ़ गए और डीजे की धुनों पर थिरकते हुए देर रात तक पतंग उडाई और ''वो काटा...वो मारा'' का शोर करते दिखे। देर शाम शहर के आसमां में जमकर आतिशबाजी की गई, ऐसा लग रहा था जैसे दीवाली का त्यौंहार हो। फोटो-राष्ट्रदूत

पतंगबाजी के दौरान छत से गिरने पर बच्चे की मौत

एसएमएस अस्पताल में सोमवार को पतंगबाजी में घायल होकर 98 लोग इलाज के लिए पहुंचे

जयपुर। राजधानी जयपुर में सोमवार को पतंगबाजी के दौरान 98 लोग घायल होकर एसएमएस अस्पताल पहुंचे। इनमें तूंगा निवासी एक बच्चे की छत से गिरने पर मौत हो गई है। वहीं एक गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि अन्य मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

- **छत से गिरकर 6 जबकि मांझे से कटने पर 9 लोग घायल हुए।**

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर, इमरजेंसी और न्यूरोसर्जरी वार्ड में पतंगबाजी में घायल होकर 98 लोग पहुंचे। इनमें से 23 लोगों को भर्ती कर इलाज किया गया। मांझे से कटने पर नौ लोग अस्पताल पहुंचे। इनमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे भर्ती किया गया। इसके अलावा पतंगबाजी के दौरान छत से गिरने पर 6 लोग घायल हुए। इनमें तूंगा निवासी 13 साल के रिंकू शर्मा मौत हो गई।

डॉक्टर्स के अनुसार रविवार को ट्रोमा वार्ड में लगभग 60 के आसपास पेशेंट आए। इसमें से 10 से 15 पेशेंट काफी क्रिटिकल थे। इनमें से कुछ पेशेंट को आइसीयू में भी रखा गया है। वेंटिलेटर पर भी हैं। कुछ की सिर की हड्डी भी टूटी है। ये अभी क्रिटिकल कंडिशन में हैं। घायलों में 5 से 10 साल के बच्चे भी शामिल हैं। जो छत से गिर गए।जयपुर के सुभाष चौक में रहने वाले दशरथ शर्मा (23) की गर्दन मांझे से टक गई। हेलमेट लगाने के बावजूद हादसा हो गया। दशरथ पार्ट्स बेचने का काम करता है। किसी काम से ट्रांसपोर्ट नगर गया था। इस दौरान हादसा हो गया। इससे गले में 6 टांके आए हैं। काफी खून भी बह गया। जब यह हादसा हुआ, उस वक्त वह अकेला था। घायल अवस्था में इसे किसी ऑटो वाले ने एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद परिजनों को इस हादसे की सूचना दी। वहीं, जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में रहने वाले मोहम्मद तज्जुद्दीन एक्टिवा से दुकान के लिए निकले थे। रास्ते में मांझे से नाक कट गई।

निवारू रोड लालचंदपुरा की रहने वाली राधिका (9) छत पर पतंग लेने के लिए रेलिंग से झुक रही थी। इस दौरान दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर गिर गई। इसके सिर में चोट लगी। डॉक्टर्स ने इसे 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है।

चाकसू की रहने वाली अलीना (7) पतंग देखने के चक्कर में छत से गिर गई। उसके सीधे हाथ की हड्डी टूट गई है। उसके चेहरे पर भी काफी चोट लगी है।

922 पक्षी हादसे के शिकार हुए

पतंग हादसे में बेजुबान पक्षी भी घायल हुए। पक्षी चिकित्सालय जयपुर के संस्थापक कमल लोचन ने बताया कि शहर के अलग अलग इलाकों में हमारे 45 कैंप लगाए गए थे। यह कैंप 13, 14 और 15 जनवरी को लगाए गए। इन तीन दिनों में 922 पक्षी हादसे के शिकार हुए। जो हमारे कैंप तक पहुंचे। इसमें 47 बर्ड्स की मौत हुई।

'पीएम आवास योजना' की प्रथम किस्त की जारी

बांसवाड़ा/जयपुर। प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम-जनमन के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बांसवाड़ा की पंचायत समिति तलवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद कनक मल कटारा, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि पीएम-जनमन का शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हुआ था।

अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त 100 से अधिक वाहन मशीनरी जब्त

जयपुर, (का.सं.)। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सोमवार से शुरु राज्यव्यापी संयुक्त अभियान के पहले दिन ही आरंभिक सूचनाओं के अनुसार समूचे प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 100 से अधिक वाहन मशीनरी जब्त करने के साथ ही बड़ी मात्रा में खनिज जब्ती की कार्यवाही की गई है। आधा दर्जन से अधिक बड़ी मशीनरी जब्ती की कार्यवाही की गई है। खान सचिव आनन्दी ने बताया कि समूचे प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए खनन माफियाओं को सख्त संदेश दिया गया है कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही व जब्ती का कार्य जारी है सूचना के संकलन तक यह संख्या बहुत अधिक होगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 11 जनवरी को खान विभाग की समीक्षा बैठक में

- **समूचे प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाही जारी, 300 टन से अधिक अवैध बजरी जब्त**

अवैध खनन गतिविधियों पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए सख्त से सख्त कदम उठाने को कहा है। मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देषानुसार समूचे प्रदेश में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक खान विभाग सहित पांच विभागों का संयुक्त अभियान चलाया गया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत स्वयं अभियान प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं खान सचिव आनन्दी खान विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए दिशानिर्देश देते हुए अभियान का संचालन और मोनेटरिंग कर रही है। इसी का परिणाम है कि अभियान के पहले दिन ही समूचे प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यवाही के समाचार मिल रहे हैं।

आरंभिक सूचनाओं के अनुसार जयपुर टीम द्वारा अवैध खनिज परिवहन करते हुए जयपुर और दूदू के सांगानेर, फागी, रायसर, बासड़ी में कार्यवाही करते हुए 6 ट्रेक्टर ट्राली और एक एक्सक्लेटर मशीन जब्त कर संबंधित थानों को सुपुर्द किया गया है। इसी तरह से टोंक के उनियारा मोड़ पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 160 टन अवैध भण्डारित बजरी का स्टॉक जब्त किया गया है। इसके साथ ही एक जेसीबी और 2 ट्रेक्टर ट्राली जब्त की गई है। झुन्झुनू में 4 डंपर, एक ट्राली व एक जेसीबी जब्त की गई है। दौसा में 6 वाहन जब्त किए गए है जिसमें 2 ट्राली बजरी और 4 मेसेनरी स्टोन का परिवहन करते हुए वाहन जब्त किया गया है। परबतसर में एक जेसीबी और एक ट्रक जब्त किया गया है। गोटन में एक डंपर व थांवला में एक जेसीबी और 5 ट्रेक्टर जब्त किये गये हैं। नीम का थाना में अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली जब्त की गई है।

विधानसभा में आज विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आज

जयपुर, (का.सं.)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एक दिवस का प्रबोधन कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रातः 10:30 बजे विधानसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। समापन समारोह सायं 4 बजे होगा, जिसके मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति होगी। देवनानी ने बताया कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, सदन में आचरण तथा संसदीय परम्पराएं विषय पर सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह विधायकों को जानकारी देंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल प्रश्नकाल एवं शून्यकाल के बारे बतायेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सी. पी. जोशी संसदीय समितियां एवं उनके कार्यकरण पर विचार व्यक्त करेंगे। राज्य सभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी संसदीय विशेषाधिकार एवं विधेयक पारण प्रक्रिया पर जानकारी देंगे।

चार नए करोना संक्रमित मिले

जयपुर। प्रदेश सोमवार को करोना संक्रमण के चार नए मामले सामने आए है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उदयपुर में 2 और जयपुर तथा सीकर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। जयपुर में फिलहाल 18 का इलाज चल रहा है।

''एक बार फिर से मोदी सरकार'' स्लोगन लिखकर लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया

जयपुर, (का.सं.)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार अभियान की शुरूआत दीवार पर ''एक बार फिर से मोदी सरकार'' स्लोगन लिखकर की। यह स्लोगन उन्होंने सिविल लाईंस विधानसभा के बनीपार्क क्षेत्र में लिखा।

अभियान की शुरूआत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने आज कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। प्रदेश में भी दीवार पर ''एक बार फिर से मोदी सरकार'' स्लोगन लिखकर लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान की शुरूआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में जिला, मण्डल और बूथ स्तर पर भी शुभारंभ किया जाएगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि देश की जनता 2024 में फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है, क्योकि एक कुशल नेतृत्व वाली मजबूत सरकार ही मजबूत निर्णय ले सकती है। 2014 में देश की जनता ने भाजपा की मजबूत सरकार को चुना जिसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए मात्र दस वर्षों में अनेक ऐसे काम किए जो पहले की सरकारें साठ सालों में भी नहीं कर पाई। मोदी सरकार ने हर वर्ग का कल्याण करते हुए अभूतपूर्व काम किए हैं जिससे देश मजबूत हुआ और विश्व में भारत का मान-सम्मान बढ़ा, अर्थव्यवस्था में भी आज भारत दुनिया के बडे देशों को पछाडकर टॉप फाईव देशों में पहुंच गया है। अबकी बार मोदी सरकार चार सौ के पार होगी।

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

चतरपुरा में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 22 को

जयपुर। जिले की सांगानेर तहसील की ग्राम पंचायत दाँतली के चतरपुरा गाँव में नवनिर्मित शिव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा।

पूर्व सरपंच मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामवासियों के सहयोग से बने इस मंदिर में यह समारोह पाँच दिन मनाया जाएगा।समारोह के तहत 18 जनवरी को सुबह कलश यात्रा का आयोजन होगा। इसके बाद तीन दिन हवन और मंत्रोचार कार्यक्रम होगा।मूर्ति स्थापना का मुख्य कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा। उसी दिन प्रसादी का आयोजन होगा।इसमें हजारों लोग शामिल होंगे।

डोटासरा या जूली में से कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष?

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। दरअसल 19 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। अब तक इस पद के लिए कई नाम सामने आए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि गोविंद डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि वह चार बार के विधायक हैं और उनके स्थान पर किसी अनुसूचित जाति के नेता को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब यदि दिल्ली डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखती है, तो फिर टीकाराम जूली के लिए नेता प्रतिपक्ष पद की लॉबिंग भी मजबूती से हो रही है।

दरअसल अब तक इस पद के लिए वरिष्ठ विधायकों में महेंद्रजीत सिंह मालवीय राजेंद्र पारीक, हरिमोहन शर्मा के नाम भी चलाए जा रहे थे, लेकिन इन नेताओं की उम्र आड़े आ रही है। अब कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा को बनाए जाने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। इसका एक कारण तो यह है कि जब 2013 से 2018 तक सदन में कांग्रेस के सिर्फ 21 विधायक थे, तब दूसरी बार के विधायक होने के बावजूद गोविंद सिंह डोटासरा ने सत्ता पक्ष के खिलाफ सदन में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और लगातार मुद्दे उठाए थे। वहीं अब गोविंद सिंह डोटासरा चार बार के विधायक रहने के अलावा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। ऐसे में यदि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, तो वह बेहतर तरीके से सदन में सत्ता पक्ष के सामने मुद्दे उठा सकेंगे।

- **पायलट और चौधरी को प्रभारी बनाए जाने के बाद डोटासरा की संभावनाएं बढ़ी**
- **हालांकि मालवीय पारीक और हरिमोहन के नाम पर भी चर्चा ,लेकिन तीनों की बढ़ती उम्र आड़े आ रही है**

कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिन पहले दिल्ली गए थे,जहां इस बारे में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई है। वैसे भी हरीश चौधरी को दक्षिण भारत के चार राज्यों का जिम्मा और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा इस पद के लिए सबसे उपयुक्त माने जा रहे हैं। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि हाल ही जो इलेक्शन कमेटी बनी है, गोविंद सिंह डोटासरा उसके अध्यक्ष हैं। ऐसे में उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्हें कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। अब यदि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है तो उनका दर्जा अध्यक्ष के मुकाबले में रहेगा और वह कमेटी के अध्यक्ष भी बने रह सकेंगे।

दूसरी और गोविंद सिंह डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बात को यदि कांग्रेस आलाकमान मंजूरी दे देता है, तो फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर इस बार अनुसूचित जाति के नेता को बिठाया जा सकता है। इस पद के लिए अलवर ग्रामीण के विधायक टीकाराम जूली का नाम लिया जा रहा है। टीकाराम जूली कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य और मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के नजदीकी हैं और भंवर जितेंद्र सिंह गांधी परिवार के, खास तौर पर राहुल गांधी के नजदीकी नेताओं में माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि भंवर जितेंद्र सिंह पीसीसी अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष में से एक पद टीकाराम जूली को दिलाना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि कौन सा नेता लॉबिंग में कितना सफल हो पाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इन दोनों पदों के लिए फैसला हो चुका है।

हालांकि कांग्रेस में जब तक पद पर नेता के नाम की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक सिर्फ सभवानाओं पर चर्चा होती रहती है। ऐसे में अभी इन संभावनाओं को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन इन चर्चाओं पर किसी भी वक्त विराम लग सकता है, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना बेहद जरूरी है। इसका कारण यह है कि 19 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले विधायक दल की बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति भी बनाई जानी है और यदि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा जल्द नहीं होती है, तो फिर विधायक दल की बैठक में रणनीति को लेकर विपक्ष को लीड कौन करेगा। ऐसे में संभावना है कि मंगलवार शाम या बुधवार तक नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी।

राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में सोमवार को प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

'लोकतंत्र में आई विकृतियों को दूर करें'

जयपुर, (का.सं.)। मुक्त मंच की 77वीं संगोष्ठी विकसित भारत और जन आकांक्षाएं विषय पर संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉ. कुसुम ने कहा कि संसाधनों के संतुलित समन्वय से भौतिक विकास तो संभव है किंतु जनभावनाओं और सामाजिक सरोकारों का विमर्श इकतरफा रह जाता है। ऐसे में हमारे जनप्रतिनिधियों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप आमजन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने के प्रयास करने चाहिए। वरिष्ठ व्यंग्यकार कवि फारूक आफरीदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए जरूरी है कि सर्वधर्म समभाव की भावना बनी रहे।

शोक सन्देश

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

(सेवा निवृत बी.एस.एन.एल) का स्वर्गवास दिनांक 10.01.2024 को हो गया है।

शोकाकुल- इन्द्रनारायण शर्मा (भ्राता), नूतनप्रकाश (भ्राता), महेश (भ्राता), प्रेमप्रकाश (भ्राता), नितिन (पुत्र), नीरज (पुत्र), योगेश, राकेश (भतीजे) एवं समस्त गोठवाल परिवार

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम कुरैशी नौशाद अली से बदलकर नौशाद अली रख लिया है। भविष्य में मुझे नौशाद अली के नाम से जाना जावे। पताः-प्लॉट नं.199 गली नं.4, चंद्रशेखर की बगीची के पास नाहरी का नाका मदीना मस्जिद जयपुर

CONTRACT FOR FREIGHT CHARGES AT SAPTA SHAKTI CANTEEN

Tenders are invited for freight charges at Sapta Shakti Canteen as follows:-

Ser.No	Particulars	Qty
1	09 Ton Truck	02
2	15 Ton Truck	03

Trucks are required for collection of stores from CSD Depot, Jaipur and unloading of stores at Sapta Shakti canteen. Distance from CSD Depot, Jaipur to Sapta Shakti Canteen 1.5 km & 2.5 km. Time for loading and unloading of stores take 4-5 hours. Demands of vehicles requirement will depend on collection of stores. Only GST registered firms may apply for tender. Payments will be made on monthly basis through cheque only. Contract duration will be of 12 months only from the date of contract. Tender form should be submitted in a closed envelop at Sapta Shakti Canteen, Sawai Jai Singh Marg, Bani Park, Jaipur-302016. The last date of receipt of sealed tenders is 20 Jan 2024.

Contact No-9461095508

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-15398 दिनांक-08/01/24

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास सख्या 35/141 (EWS), (एरिया 42.320 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री शिव प्रकाश सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1118 दिनांक 30.06.1997 को जारी किया गया। श्री धूमीमल पुत्र स्व. श्री लोनमल के पक्ष मे उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 756/3359 दिनांक 22.10.2007 के द्वारा किया गया। श्री भूमीमल के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 22.07.2008 को उप पंजीयक-सांगानेर-द्वितीय, जयपुर के यहां पंजीकृत, करवाये गये। श्री भूमीमल द्वारा उक्त आवास का वसीयत नामा दिनांक 07.02.2012 को श्री ईश्वर लाल पुत्र श्री धूमीमल के नाम किया जाकर वसीयत नामा पत्र उप पंजीयक जयपुर-षष्ठम मे पंजीकृत करवाया गया। श्री ईश्वर लाल द्वारा उक्त आवास का विक्रय दिनाक 18.06.2015 को श्री जावेद कुरेशी पुत्र श्री मुन्ना बाडीवाला के नाम किया जाकर विक्रय पत्र उप पजीयक सांगानेर द्वितीय, जयपुर मे पंजीकत करवाया गया। श्री जावेद कुरेशी द्वारा उक्त आवास का विक्रय दिनाक 14.11.2019 को श्रीमती समीना बेगम पत्नी श्री निजामुद्दीन के नाम किया जाकर विक्रय पत्र उप पंजीयक-द्वितीय जयपुर मे पंजीकृत करवाया गया। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती समीना बेगम पत्नी श्री निजामुद्दीन का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 08/2024

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री हितेश सिंह बैद्य पुत्र श्री हीरा सिंह बैद निवासी 202, कंचन अपार्टमेंट, ए31, तिलक नगर, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, जवाहर नगर, जयपुर 302004 (राज.) ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत यूनाइटेड चैरिटेबल फाउन्डेशन ए-28 विद्यालय मार्ग, तिलक नगर जयपुर (राज.) के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 11/1/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 15/3/24

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 15/24

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम श्रीमती ओमवती अग्रवाल पत्नि स्व. श्री ईश्वर प्रकाश अग्रवाल उम्र 77 वर्ष

विवाद स्थान निवासी बी-61, कैलाश मार्ग, प्रभाष नगर, जयपुर राज.-302018

मृतक ईश्वर प्रकाश अग्रवाल की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 28/2/24

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम ईश्वर प्रकाश अग्रवाल पुत्र बंशीधर निवासी बी-61 कैलाश मार्ग, प्रभाषनगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 28 माह 02 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 11 माह 01 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैंशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए समन

(आदेश 5 नियम 1 और 5)

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू (राज.)

आसू सिंह -बनाम- किशोर सिंह वगैरा

अपील अन्धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी मंडावा, मू0न0- 108/2022 (पुराना 50/2015), निर्णय दिनांक 08-09-2022 उनवानी किशोर सिंह बनाम मुरलीधर वगैरह दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एवं निषेधाज्ञ रा0का0 अधिनियम 1955

अ.नं : 28/2022

प्रेषित :-

1. किशोर सिंह पुत्र रामबक्स सिंह, जाति- बारठ, निवासी श्यामपुरा (दिलोई), तहसील- बिसाऊ, जिला- झुन्झुनू (राज.) हाल आबाद रावतसर, वार्ड नं 1, जोधा का बास, जिला- हनुमानगढ़ जरिये मुख्त्यार आम दलीपसिंह पुत्र श्री गोपालराम जाति-जाट, निवासी नौरंगपुरा, तहसील- राजगढ़, जिला चुरू।
2. अशोक कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र, जाति- जाट, निवासी- बुढावास, तहसील- राजगढ़, जिला- चुरू।
3. अशोक सिंह — पुत्रान श्री सोहन सिंह जातिगण-बारठ,
4. शिवराज सिंह — निवासीगण- श्यामपुरा (दिलोई),
5. सज्जन सिंह — पोस्ट- पूनिया का बास, वाया- चुड़ेला,
6. राजेंद्र सिंह — तहसील-बिसाऊ, जिला- (राज.)
7. मु.उम्मेद कंवर
8. मु.सम्पत कंवर — पुत्रियाँ
9. मु. पुष्पा कंवर — सोहन सिंह
10. मु.लक्ष्मी कंवर — निवासीगण - श्यामपुरा (दिलोई)
11. श्रीमती शांति कंवर — पत्नी सोहन सिंह निवासी श्यामपुरा (दिलोई)

अपीलांट ने आपके विरुद्ध दावा पेश किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 25/24 को दिन के 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है। जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो वाद से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतीक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हो, पेश कर जिन पर आपका प्रतीक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह कि उक्त नोटिस आज तारीख 399/11.01.24 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मोहर लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

रीडर-भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में केपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिन्गटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 I फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट- VI {नियम 8 (1)}

कब्जा नोटिस

(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अत: वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12.07.2023 को एक मांग पत्र कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. पिंक सिटी टेन्ट एण्ड केटरर्स प्रो. किरन कंवर, 2. अभय सिंह चौहान, 3. किरण कंवर, 4. पिंक सिटी टेन्ट केटरर्स को जारी किया गया था, जिसमें 12.07.2023 को देय, मांग पत्र में उल्लेखित राशी रुपये 1,09,87,516.22/- (रुपये एक करोड़ नौ लाख सतासी हजार पांच सौ सोलह और पैसे बाइस मात्र) का भुगतान नोटिस प्राप्ती के 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था। चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चचुकाने में विफल रहे है अत: कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज जनवरी 2024 के 9वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तो के अधीन राशी रूपये 1,09,87,516.22/- (रुपये एक करोड़ नौ लाख सतासी हजार पांच सौ सोलह और पैसे बाइस मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा। कर्जदारों का अध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

प्लाट नं. 141-ए, क्षेत्रफल 93.33 वर्ग गज, स्कीम कटेवा नगर, जयपुर- राजस्थान-302019 का पूरा व प्रत्येक भाग

दिनांक- 09 जनवरी, 2024
स्थान- जयपुर
ऋण खाता सं. 45510847 तथा 32911961

प्राधिकृत अधिकारी,
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)